कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 24/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.01.2026

आजमगढ़ साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता — अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़: टेलीग्राम के जरिए चीनी हैंडलरों के लिए काम करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार , ₹6.32 लाख नकद, 11 मोबाइल, 12 ATM कार्ड, 1 विदेशी सिम कार्ड , चेकबुक, कैश काउंटिंग मशीन व स्कॉर्पियो वाहन बरामद; पूर्व 04 शातिर अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक- 14.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित साइबर ठगी गिरोह का सफल अनावरण किया गया है। कार्यवाही के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन, ATM कार्ड, विदेशी सिम कार्ड , बैंक दस्तावेज, मोहर एवं एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया है।

घटना का विवरण-

➡*दिनांक 18.09.2025* को वादी भूपेन्द्रनाथ यादव पुत्र स्व. भूल्लन प्रसाद यादव निवासी ग्राम गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना साइबर क्राइम पर लिखित तहरीर दी गई कि उनके पुत्र *आर्यन यादव* के मोबाइल नम्बर को एक *टेलीग्राम ग्रुप* में जोड़ा गया, जहाँ बताया गया कि वे *"WOOCOMMERCE"* नामक कम्पनी के लिए कार्य करते हैं। उक्त कम्पनी की वेबसाइट *"WOOAUTOMATTIC.COM"* पर प्रोडक्ट की सेल व मार्केट वैल्यू बढ़ाने हेतु प्रोडक्ट को "बूस्ट" करने के नाम पर कार्य कराया जाता है। अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र को अधिक लाभ का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों में ***कुल ₹12,64,249/- (बारह लाख चौंसठ हजार दो सौ उन्चास रुपये)*** जमा कराकर *ठगी* कर ली गई।

➡इस सम्बन्ध में *थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़* पर ***मु0अ0सं0- 28/25 धारा 318(4), 319(2), 317 BNS व 66C, 66D IT Act*** पंजीकृत कर *विवेचना प्रारम्भ की गई।*

➡दिनांक- 27.10.2025 को थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचना व *साइबर ठगी के मुकदमें का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त गिरोह के अन्तर्राज्यीय 04 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके क्रम में-*

➡*दिनांक- 14.01.2026 को थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचना व* साइबर ठगी के मुकदमें का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त गिरोह के अन्तर्राष्ट्रीय 02 शातिर साइबर अपराधियों को गोडम्बा (लखनऊ) से समय करीब 22.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया ।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)

➡गिरफ्तार अभियुक्त टेलीग्राम आईडी LEE COOPER, SIMBA (A WATSON) व Nobita के माध्यम से चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर कार्य कर रहे थे।

➡ठगी की धनराशि भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी

➡ATM व चेक के माध्यम से नकद निकासी की जाती थी

➡निकाली गई राशि को USDT (क्रिप्टो करेंसी) में परिवर्तित कर चीनी हैंडलरों को भेजा जाता था

➡ **अभियुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा अब तक लगभग कुल 10–15 करोड़ रुपये की धनराशि को USDT (क्रिप्टो करेंसी) में परिवर्तित कर चीनी हैंडलरों को भेजा जा चुका है।**

➡खाताधारकों को कमीशन देकर उनके खातों का दुरुपयोग किया जाता था

➡अभियुक्तों को प्रतिशत के आधार पर कमीशन प्राप्त होता था

➡यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क है।

➡ अपनी पहचान छिपाने के लिए अभियुक्त *वर्चुअल नंबर, फर्जी सिम टेलीग्राम ग्रुप* का प्रयोग करते थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1-मु.अ.सं. – 28/2025 धारा – 111(4), 317(2), 318(4), 319(2) BNS 66C, 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम *थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. अभिषेक गुप्ता पुत्र अरुण गुप्ता, निवासी – 2/750 जानकीपुरम, सेक्टर-एच, लखनऊ, (गिरोह का मुख्य संचालक, चीनी साइबर अपराधियों का संपर्ककर्ता)
2. शाश्वत अवस्थी पुत्र दीप राज अवस्थी, निवासी – संजय गांधी पुरम, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ

बरामदगी का विवरण

- ₹ 6,32,320/- नकद
- 11 अदद मोबाइल फोन
- 12 अदद ATM कार्ड (विभिन्न बैंकों के)
- 09 अदद चेकबुक
- 02 अदद पासबुक
- 01 आधार कार्ड
- 01 कैश काउंटिंग मशीन
- 01 स्कॉर्पियो वाहन (UP32 QC 8600)
- 01 विदेशी सिम कार्ड (नेपाल देश से जारी सिम)
- 01 अदद मोहर

साइबर अपराध से संबंधित डिजिटल साक्ष्य (टेलीग्राम ग्रुप, चैट, डेटा)

पुलिस की कार्यवाही

तकनीकी विश्लेषण, IP एड्रेस ट्रैकिंग, डिजिटल साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर लेखराज मार्केट व जानकीपुरम क्षेत्र में दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद समस्त सामग्री को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सील कर कब्जे में लिया गया है। वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक – देवेन्द्र प्रताप सिंह

उपनिरीक्षक – योगेन्द्र प्रसाद

मुख्य आरक्षी – सुखनंदन यादव

आरक्षी – सभाजीत मौर्य

आरक्षी – एजाज खान

चालक – महिपाल यादव

(तकनीकी टीम एवं महिला पुलिस बल का विशेष सहयोग), जनपद आजमगढ़।

जनसामान्य से अपील

आजमगढ़ पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात लिंक, APK फाइल, टेलीग्राम/व्हाट्सएप पर प्राप्त लालचपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें। साइबर अपराध की सूचना तत्काल 1930 या नजदीकी थाना / साइबर क्राइम थाना को दें। आम जनता से अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता कमीशन के लालच में इस्तेमाल न करने दें।